न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 95/2015 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2015/00110

1. हरदीप सिंह
2. गुरदीप सिंह
3. अमरीक सिंह

पिसरान प्रीतम सिंह जाति मजबी सिख निवासीगण चक 23 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवान सिंह
2. गुरूचरण सिंह
3. कश्मीर सिंह

पिसरान इन्द्र सिंह जाति मजबी सिख निवासीगण ढबली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री धन्ने सिंह अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला के आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि तहसील खाजूवाला के चक 23 के.वाई.डी. के मु.नं. 79/41 की 25 बीघा भूमि में से किला नंबर 18 ता 25 की कुल तादादी 8 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। उक्त विवादित भूमि की वसीयत प्रकाश कौर पत्नी इन्द्रसिंह मजबी सिख निवासी ग्राम मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने अपीलांट्स के हक में दिनांक 09.02.1995 को कर दी। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 04.04.1996 को हो गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स ने तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.07.2015 पारित करते हुए अपीलांट्स के उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2015 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि की वसीयतकर्ता प्रकाश कौर पत्नी इन्द्रसिंह मजबी सिख निवासी ग्राम मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने अपीलांट्स के हक में दिनांक 09.02.1995 को वसीयत कर दी। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 04.04.1996 को हो जाने पर अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2015 पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 27.07.2015 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को संदिग्ध मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि वसीयत संदेहास्पद है, किसी भी तरीके से साबित नहीं है। वसीयत के गवाहों द्वारा वसीयत के सही व सत्य होने के पक्ष में बयान दिये गये है। पटवार हलका की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त तथा रिहायश अपीलांट्स का ही है। वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से आदिनांक तक जाली होना साबित नहीं कराया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित नजीरों का हवाला दिया हैं:—

- आर.आर.टी. 2001(2) पेज 990
- आर.आर.टी. 2017(1) पेज 95

3— अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के निमित्त जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 21.12.2021 को पाबन्द किया गया, जिन्हें दिनांक 23.12.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड एडी सम्मन लौटकर वापिस प्राप्त नहीं हुए एवं न ही रेस्पोडेन्ट्स स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अतः इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.03.2022 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध (Ex Parte) एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट्स द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2015 पारित करते हुए वसीयत के संदेहास्पद होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। वसीयत के संदर्भ में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जिन तथ्यों का हवाला दिया है, यह न्यायालय उन तथ्यों को उचित मानता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर